निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या **57/2025** (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

रामकृष्ण सोनी बेवाल, 20-21, शिव सदन, महेश पथ, केशव विहार कॉलोनी, रिद्धि सिद्धि स्वीट हाऊस के पीछे, परमहंस आश्रम धाम के सामने, रिद्धि सिद्धि चौराहा, गोपालपुरा बाईपास रोड, टोंक रोड, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, कलक्ट्रेट, जयपुर।
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विधि शाखा, अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय, कलक्ट्रेट, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 04.09.2025**

1. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर सहायक आयुक्त प्रथम देवस्थान विभाग, जयपुर को संबोधित पत्र संख्या ट्रस्ट/जयपुर-1/2025/1486 दिनांक 01.04.2025 एवं अपीलार्थी के पत्र दिनांक 08.05.2025 पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना सहित अन्य सूचनाएं चाही गई है। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई है।
3. लिखित बहस एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 554 दिनांक 12.08.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी विधि शाखा, कलक्ट्रेट, जयपुर को अंतरित किया गया था। अंतरिती अधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पत्रांक 728 दिनांक 28.8.2025 से अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलार्थी को पत्रांक 546 दिनांक 07.07.2025 से प्रेषित की जा चुकी है, अवशेष सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अवशेष बिन्दुओं के संबंध में अपीलार्थी को किसी प्रकार का विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है। अभिलेखों पर उपलब्ध सूचना दी जा सकती है, फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।
5. प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्देशित किया जाता है कि अवशेष बिन्दुओं की सूचना अविलम्ब अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक **04.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner